कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

क्रमांकः 177 दिनांकः 27.03.2025

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय वाहन, जिप्सी मॉडल 2010 (पेट्रोल), पंजीयन संख्या RJ27-UA-4044 एवं कार मारूति स्विफ्ट डिजायर, मॉडल 2016 (डिज़ल) एक्सीडेंटल, पंजीयन संख्या RJ14-NC-1698 को **"जहां है जैसा है"** के आधार पर न्यायालय परिसर में दिनांक 07/04/2025 को प्रातः 10.00 बजे खुली बोली द्वारा नीलाम किया जाएगा, जिसकी अमानत राशि रू. 5,000/–रू. रखी गई है। नीलामी शर्ते कार्यालय में अथवा विभाग की वेबसाईट https://udaipur.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष, वाहन नीलामी समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
उदयपुर

क्रमांकः लेखा/2025/1799–1801 दिनांकः 27.03.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर को पोर्टल पर अपलॉड करनें हेतु।
3. सम्पादक, उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को उदयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर डी.आई.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दर अनुसार बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष, वाहन नीलामी समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
उदयपुर

नीलामी शर्ते :–

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी शुरू होने से पूर्व अमानत राशि रूपयें 5,000/–रू. का बैंकर्स चैक/डी.डी. जो कि जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर (District & Sessions Court, Udaipur) के नाम से देय हो, जमा कराना अनिवार्य होगा, इसके साथ बोलीदाता को फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रतिलिपी मय पता एवं मोबाईल नं. जमा करवाना अनिवार्य होगा।
2. वाहनों की नीलामी निर्धारित दिनांक व समय पर न्यायालय परिसर में होगी।
3. नीलामी उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में की जायेगी। सफल बोलीदाता को बोली राशि की एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी, तथा शष राशि तीन कार्यदिवस में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी।
4. समस्त राशि जमा होने के पश्चात् ही वाहन सिपूर्द किये जायेंगे।
5. सफल बोलीदाता द्वारा वाहन की सिपुर्दगी नहीं ली जाती है अथवा निविदा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो, उसकी जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सफल बालीदाता को वाहन का इस्तान्तरण/पंजीयन/निपटान से संबंधित समस्त खर्च एवं देय राज्य/केन्द्रिय करों का भुगतान स्वयं को करना होगा, जिसकी जमा की प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी। वाहन से संबंधित दस्तावेजों में केवल आर.सी. की मूल प्रति उपलब्ध करवाई जायेगी।
7. इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व वाहन का निरीक्षण न्यायालय परिसर में कार्यालय समय के भीतर किसी भी कार्य दिवस में कर सकते हैं
8. नीलामी के संबंध में सम्पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास रहेंगे।

अध्यक्ष, वाहन नीलामी समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
उदयपुर